कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन-शाखा) म0प्र0, भोपाल.

क्रमांक/एफ. 05/04/समO/लवउ/ 3764   भोपाल, दिनांक/ 17/9/04

प्रति,

समस्त वन मण्डलाधिकारी (सामान्य)
मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुज्ञा पत्र (ट्रांजिट पास) के संबंध में ।

सन्दर्भ:- म0प्र0शासन, वन विभाग के आदेश क्र0/एफ. 28/1/2003/10-3 दिनांक 24-6-2003

म0प्र0शासन, वन विभाग के आदेश क्र0एफ-28/1/2003/10-3 दि. 24-6-03 व्दारा काष्ठ, खनिज, वन्य जीव, उत्पाद, तेन्दूपत्ता, सालबीज तथा कुल्लु गोंद को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वन उपज को म0प्र0 अभिवहन (वनउपज) नियम 2003 प्रवर्तन से छूट दी गई है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक बेरियर पर बोर्ड लगाकर जनहित में सूचित करें कि काष्ठ, खनिज, वन्य जीव, उत्पाद, तेन्दूपत्ता, सालबीज तथा कुल्लुगोंद को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वन उपज को म0प्र0 अभिवहन (वनोपज) निमय 2003 के प्रवर्तन से छूट दी गई है । सुलभ संदर्भ हेतु जिन प्रजातियों में टी.पी. की आवश्यकता है, की सूची संलग्न है । कृपया वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें, ताकि वनोपज के व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो सके ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

नि. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन),
म0प्र0, भोपाल

पृष्ठां0क्र0एफ. 05/04/समO/लवउ/ 3765   भोपाल, दिनांक/ 17/9/04

प्रतिलिपि:-

1-प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक/वनो./टा./फो./04/11752 दिनांक 26-8-04 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।

2-समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय) म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

नि. अपर प्रधान मुख्य-वन संरक्षक (उत्पादन),
म0प्र0, भोपाल

मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के अंतर्गत

केवल निम्न वनोपज पर ट्रांजिट पास की आवश्यकता है

1. खनिज
2. वन्य जीव उत्पाद
3. काष्ठ
4. तेन्दूपत्ता
5. साल बीज
6. कुल्लु गोंद

वनमंडलाधिकारी

....